संख्या: 13/2021/186 ई-2/तेरह-2021-47/2003

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 फरवरी, 2021

विषय:-मेसर्स धामपुर आसवनी, धामपुर जनपद बिजनौर में 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-72/दो-प्रा.डी.-33/धामपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त दिनांकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स धामपुर आसवनी, धामपुर, जनपद बिजनौर में पूर्व से स्थापित 120 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट के अतिरिक्त 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट स्थापित किये जाने पर इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि आसवक उक्त प्लान्ट को चलाये जाने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी आवश्यक संशोधन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।